न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 688-II/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 18-02-2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना प्रकरण क्रमांक 57/2006-07/निगरानी

राजारामसिंह पुत्र लड्डूलाल [illegible]
निवासी ग्राम [illegible] तहसील [illegible]
जिला श्योपुर म0प्र0

..........आवेदक

विरूद्ध

बजरंगीबाई पत्नी मोंगीलाल पुत्र गप्पूलाल
निवासी ग्राम ढोंढपुर तहसील बड़ौदा
जिला श्योपुर म0प्र0

..........अनावेदिका

श्री एस0के0अवस्थी, अभिभाषक आवेदक
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक अनावेदक

:: आदेश ::

(आज दिनांक को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना प्रकरण क्रमांक 57/2006-07/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18-02-2010 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसील श्योपुर के ग्राम [illegible] में स्थित विवादित भूमि सर्वे कमांक 60 रकबा 4 बीघा 09 विस्वा जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी हीरालाल पुत्र ढोला था। अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण कमांक 26/1994-95/अ-86 में पारित आदेश दिनांक 22-12-1995 से अभिलिखित भूमिस्वामी हीरालाल के हक में भू-दान बोर्ड द्वारा प्रदत्त पट्टा निरस्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता द्वारा [illegible] न्यायालय में आवेदन [illegible] भू-दान भूमिस्वामी घोषित किया जाने [illegible]

प्रस्तुत किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 05 / 1998-99 / अ [illegible] करते हुये पारित आदेश दिनांक 30 [illegible] विवादित भूमि पर आवेदक [illegible] भूमिस्वामी घोषित किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 [illegible] 1999 [illegible] दुखित होकर एक निगरानी अनावेदक द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 113 / 2001-02 / निगरानी में दर्ज की जाकर पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 26-4-07 से विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-9-1999 को स्वमेव निगरानी में लिये जाने का आदेश दिया। कलेक्टर जिला श्योपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-4-07 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-02-2010 से आवेदक की निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-02-2010 से दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3- प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये जिसमें बताया गया कि कलेक्टर जिला श्योपुर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी पर कलक्टर को सुनवाई करना चाहिये थी न कि स्वमेव निगरानी में प्रकरण लिये जाने का आदेश देना था । आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वमेव निगरानी में लिये जाने का क्या औचित्य था अपने आदेश में स्पष्ट नहीं किया गया । जहाँ पहले से निगरानी प्रस्तुत हो चुकी है उसके बाद पुनः स्वमेव निगरानी में लिये जाने का कोई अधिकार नहीं रहता । इस बिन्दु पर अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा भी कोई विचार नहीं किया । अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर भी विचार नहीं किया कि जिस आदेश के विरूद्ध अपील होना चाहिये थी उस आदेश को स्वयं स्वमेव निगरानी में नहीं लिया जा सकता है। जब भू-दान यज्ञ बोर्ड समाप्त हो चुका है तब वहाँ संहिता के प्रावधान लागू होंगे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय को क्षेत्राधिकार से बाहर आदेश को मानने में भूल की है । [illegible] में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया ।

[illegible] अनावेदक की ओर से [illegible] अभिभाषक द्वारा [illegible] में मुख्य रूप से [illegible] न्यायालय को भू-दान धारित भूमिस्वामी घोषित किये जाने की अधिकारिता [illegible] विचारण न्यायालय द्वारा किन प्रावधानों के तहत आवेदक को भू-दान धारित [illegible] किया [illegible] विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-9-1999 [illegible] है [illegible] कलेक्टर जिला श्योपुर के [illegible] [illegible] गया है [illegible]

रखने का पूर्ण अवसर उपलब्ध रहेगा । अतः मैं अनावेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का निवेदन किया ।

5- प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगणों के तर्कों पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया । उक्त निगरानी कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक 113/2001-02/निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26-4-2007 के अनुक्रम में प्रस्तुत हुई है । इस आदेश द्वारा कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 26/1994-95/अ-86 में पारित आदेश दिनांक 22-12-1995 को प्रथमदृष्टया क्षेत्राधिकार से बाहर पारित किया होने से उसे स्वमेव निगरानी में लेने का आदेश दिया है । निगरानीकर्ता कलेक्टर के स्वमेव निगरानी के अधिकार को चुनौती दे रहे हैं । यदि प्रथमदृष्टया अधीनस्थ राजस्व अधिकारी ने कोई नियम विरूद्ध/क्षेत्राधिकारी से परे जाकर आदेश पारित किया है तो ऐसे आदेश को स्वमेव निगरानी में लेने की कलेक्टर की शक्तियां असीमित है तथा इन पर समयसीमा का बन्धन भी नहीं है । कलेक्टर की जानकारी में आने के बाद उन्होंने बिना विलम्ब के प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिया है । अतः इस संबंध में आवेदक की आपत्तियां स्वीकार योग्य नहीं है । वैसे भी प्रकरण में अभी अंतिम आदेश पारित होना है । जहाँ गुणदोष पर अपनी बात कहने का अवसर पक्षकारों को उपलब्ध है । अतः अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत इस दूसरी निगरानी (पहली निगरानी अपर आयुक्त द्वारा निरस्त की जा चुकी है) में कोई आधार नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर